



लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ, उ०प्र०-226007

Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या : / सम्बद्धता / 2018

दिनांक :

ई-मेल / रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट / व्यक्तिगत

कार्यालय-ज्ञाप

सूच्य है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 19.06.2017 द्वारा निर्णय पारित किये गये हैं कि- "किसी भी महाविद्यालय को तीन वर्ष के अन्तर्गत स्थायी सहयुक्तता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तीन वर्ष के निर्धारित अवधि के अन्दर स्थायी सहयुक्तता प्राप्त न करने पर एक वर्ष का समय अतिरिक्त दिया जायेगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत महाविद्यालय शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है एवं स्थायी सहयुक्तता नहीं प्राप्त कर पाता है तो प्रतिवर्ष एक लाख रु० अर्धदण्ड के साथ तीन वर्ष का समय और प्रदान किया जायेगा, तत्पश्चात विश्वविद्यालय से महाविद्यालय की सहयुक्तता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।" जिसकी सूचना पूर्व में समय-समय पर प्रसारित की जा चुकी है।

अतः विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित स्नातक/ परास्नातक स्तरीय ऐसे पाठ्यक्रमों जिनकी पूर्व प्रदत्त सहयुक्तता 30 जून, 2018 को समाप्त होने जा रही है और उन्हें 07 वर्ष पूर्व अस्थायी सहयुक्तता प्रदान की गयी थी, को कार्य परिषद की बैठक दिनांक 19.06.2017 के कम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि - "आगामी शिक्षण सत्र 2018-19 से स्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने हेतु समस्त कमियों के निस्तारणोपरान्त स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रत्येक दशा में 30.05.2018 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में ऐसे पाठ्यक्रमों में सत्र 2018-19 से प्रवेश प्रतिबन्धित समझा जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।"

(डॉ० भावना मिश्रा)
उप कुलसचिव (सम्ब.)

संख्या : AF-13289-83 दिनांक : 26/5/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल०वि०।
3. ☒ इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर सेन्टर, ल०वि०वि० को इस आशय से प्रेषित कि नोटिस को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त महाविद्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. परीक्षा नियंत्रक, ल०वि०वि०।
5. प्रबन्धक/प्राचार्य, समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को अनुपालनार्थ।
6. गार्ड फाईल।

Bmishra
(डॉ० भावना मिश्रा)
उप कुलसचिव (सम्ब.)